



LRS के तहत भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड व्यय

प्रलिस के लिये:

[वदिशी मुद्रा परबंधन अधनियिम](#), स्रोत पर कर वसूली, [भारतीय रजिर्व बैंक](#), [उदारीकृत प्रेषण योजना \(LRS\)](#)

मेन्स के लिये:

उदारीकृत प्रेषण योजना, वदिशी मुद्रा परबंधन अधनियिम (FEMA) का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने [भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#) के परामर्श से [उदारीकृत प्रेषण योजना \(LRS\)](#) के तहत [भारत के बहरिवाह अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च](#) को शामिल करते हुए [वदिशी मुद्रा परबंधन अधनियिम \(FEMA\)](#) में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये हैं।

- यह वदिशी यात्रा में खर्च में वृद्धि की पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। भारतीयों ने वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-फरवरी के दौरान वदिशी यात्रा पर **12.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर** खर्च किये, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में **104% अधिक** है।
- यह समावेशन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित [स्रोत पर एकतरति कर \(TCS\)](#) की उच्च दर की वसूली को सक्षम बनाता है।

मुख्य वविरण और नहितार्थ:

- LRS में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड व्यय को शामिल करना:**
 - संशोधन से उच्च मूल्य के वदिशी लेन-देन की नगिरानी की सुवधि की उम्मीद है, लेकिन यह भारत से वदिशी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिये भुगतान पर लागू नहीं होता है।
- नयिम 7 का लोप और LRS का वसितार:**
 - पहले वदिश यात्रा के दौरान खर्च के लिये अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग LRS के अंतर्गत नहीं आता था।
 - वदिशी मुद्रा परबंधन (चालू खाता लेन-देन) नयिमावली, 2000 के नयिम 7**, जिसमें LRS से इस तरह के खर्च को बाहर रखा गया है, को हटा दिया गया है।
 - यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड लेन-देन को प्रतवित्तीय वर्ष प्रतव्यक्त **250,000 अमेरिकी डॉलर की समग्र LRS सीमा नरिधारति करने में शामिल करने की अनुमति** देता है।
- कर नहितार्थ:**
 - 1 जुलाई, 2023 तक (चकितिसा और शकिषा से जुड़े कषेत्रों को छोड़कर) ऐसे लेन-देन पर **5% की TCS** लेवी लागू होगी।
 - 1 जुलाई, 2023 के बाद भारत के बाहर **क्रेडिट कार्ड खर्च के लिये TCS की दर बढ़कर 20%** हो जाएगी।
 - नए प्रावधान **'शकिषा' और 'चकितिसा' उद्देश्यों** के लिये भुगतान पर लागू नहीं होंगे और भारत में रहते हुए नविसयियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग में परिवर्तन को प्रभावति नहीं करेंगे।
 - वदिशी क्रेडिट कार्ड खर्च पर TCS लगाने की प्रणाली को अभी तक क्रयिशील नहीं कया गया है, जो बैंकों और वत्ततीय संस्थानों के लिये अनुपालन चुनौतियों का सामना करती है।
- अनुपालन और रफिंड पर प्रभाव:**
 - इन परिवर्तनों के कारण बैंकों और वत्ततीय संस्थानों के अनुपालन बोझ में वृद्धि का अनुमान है।
 - करदाता **टैक्स रटिर्न दाखलि करते समय TCS लेवी पर रफिंड का दावा कर सकते हैं**, जिसके परिणामस्वरूप कर वभिग द्वारा रफिंड शुरू होने तक फंड लॉक हो सकता है।

उदारीकृत प्रेषण योजना क्या है?

- संबंध:

- यह भारतीय रज़िर्व बैंक की योजना है जिसको वर्ष 2004 में शुरू किया गया था।
- योजना के अंतर्गत नाबालगों के साथ-साथ सभी नवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेन-देन या दोनों के संयोजन के लिये प्रतियेतीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक मुक्त रूप से वपिरेषति करने की अनुमति है।

■ अयोग्यता:

- यह योजना नगिर्मों, भागीदारी फर्मों, हट्टि अवभाजति परिवार (HUF), ट्रस्टों आदि के लिये उपलब्ध नहीं है।
- हालाँकि LRS के अंतर्गत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतियेतीय नहीं है, एक बार वतियेतीय वर्ष के दौरान 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशिके लिये प्रेषण किया जाता है उस स्थिति में एक नवासी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आगे के किसी प्रेषण को करने के लिये पात्र नहीं होगा।

■ प्रेषति धन का उपयोग यहाँ किया जा सकता है?

- यात्रा (नजी या व्यवसाय के लिये), चकितिसा उपचार, अध्ययन, उपहार और दान, नकिट संबंधियों की देखभाल आदि से संबंधति व्यय।
- शेरों, ऋण उपकरणों में नविश और वदिशी बाज़ार में अचल संपत्तियों को खरीदना।
- योजना के अंतर्गत अनुमत लेन-देन करने के लिये व्यक्ति भारत के बाहर बैंकों के साथ वदिशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं और उन्हें बनाए रख सकते हैं।

■ प्रतियेतीय लेन-देन:

- अनुसूची-I के अंतर्गत वशिष रूप से नषिदिध कोई भी उद्देश्य (जैसे लॉटरी टकिटों की खरीद, प्रतियेतीय पत्रिकाएँ आदि) या वदिशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन-देन) नयिम, 2000 की अनुसूची II के तहत प्रतियेतीय कोई भी वस्तु शामिल है।
- वदिश में वदिशी मुद्रा में व्यापार करना।
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोरस (FATF) द्वारा समय-समय पर "गैर-सहयोगी देशों और क्षेत्रों" के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीगत खाता प्रेषण करना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों और संस्थाओं को वपिरेषण करना जिन्हें रज़िर्व बैंक द्वारा बैंकों को अलग से दी गई सलाह के अनुसार आतंकवाद के कृत्यों को महत्त्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचानना है।

■ आवश्यकताएँ:

- नवासी व्यक्ति के लिये अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किये गए LRS के तहत सभी लेन-देन को अपनास्थायी खाता संख्या (PAN) प्रदान करना अनविर्य है।

टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS):

- TCS एक वकिरेता द्वारा देय कर है, जिसे वह कुछ वस्तुओं या सेवाओं की बकिरी के समय खरीदार से वसूलता है।
- TCS आयकर अधनियिम की धारा 206C द्वारा शासति है जो उन वस्तुओं या सेवाओं को नरिदषिट करती है जनि पर TCS लागू है और TCS की दरें लागू हैं।
 - शराब, लकड़ी, तेंदू पत्ते, कबाड़, खनजि, मोटर वाहन, पार्कगि स्थल, टोल प्लाज़ा, खनन एवं उत्खनन, LRS के तहत वदिशी प्रेषण आदि कुछ सामान या सेवाएँ हैं जनि पर TCS लागू है।
- कर अधिकारियों के पास TCS जमा करने और वकिरेता के पास जमा करने के लिये टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) होना चाहिये।
- वकिरेता को एक नरिदषिट समय-सीमा के अंदर खरीदार को एक TCS प्रमाणपत्र जारी करना चाहिये जिसमें एकत्रति और जमा की गई कर की राशि दिरशाई गई हो।
- खरीदार अपना आयकर रटिर्न दाखलि करते समय अपनी आय से कटौती की गई TCS की राशि हेतु क्रेडिट का दावा कर सकता है।

वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम, 1999:

- भारत में वदिशी मुद्रा लेन-देन के प्रशासन के लिये कानूनी ढाँचा वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम, 1999 द्वारा प्रदान किया गया है।
- FEMA जो कर् 1 जून, 2000 से प्रभावी हुआ, के तहत वदिशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन-देन को पूंजी या चालू खाता लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- चालू खाता लेन-देन:
 - नवासी द्वारा किये गए सभी लेन-देन जनिके कारण उसकी संपत्तिया देनदारियों (भारत के बाहर आकस्मिक देनदारियों सहति) में कोई परिवर्तन न हो, को चालू खाता लेन-देन के अंतर्गत रखा जाता है।
 - उदाहरणार्थ- वदिशी व्यापार के संबंध में भुगतान, वदिश यात्रा, शकिषा आदि पर व्यय।
- पूंजी खाता लेन-देन:
 - इसमें वे लेन-देन शामिल हैं जो भारत के नवासी द्वारा किये जाते हैं जिससे भारत के बाहर उसकी परसंपत्तिया देनदारियाँ बदल जाती हैं (या तो बढ़ जाती है या घट जाती है)।
 - उदाहरण: वदिशी प्रतियेतियों में नविश, भारत के बाहर अचल संपत्तिका अधगिरहण आदि।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

